उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा
(सामान्य शाखा)
आम सूचना

सरकार के विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड, राँची के पत्र सं0–1290, दिनांक–09.03.2017 से यह निदेश प्राप्त हुआ है कि वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ जिनका राष्ट्रीय डाटाबेस प्रणाली में दिनांक–31.03.2017 तक UIN Generate किया जाना है, जिसके लिए दिनांक–20.03.2017 तक UIN सृजन एवं NDAL System में Upload हेतु विहित प्रपत्र में जिला सामान्य शाखा, कोडरमा में आवेदन पत्र जमा करेंगे। शस्त्र नियमावली, 2016 के नियम 11 एवं 15 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का Unique Identification Number (UIN) सृजन दिनांक 31.03.2017 तक या उसके पहले National Informatics System (NIC) द्वारा विकसित NADL System में किया जाना है। उक्त तिथि तक अनुज्ञप्तिधारी का UIN सृजन एवं NDAL System में Upload नही होने की स्थिति में Licences समाप्त हो जायेगा।

अतः दिनांक–20.03.2017 तक राष्ट्रीय डाटाबेस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा नहीं करने वाले सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अंतिम मौका दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक जिला सामान्य शाखा में विहित प्रपत्र में आवेदन निश्चित रूप से जमा कर दें, ताकि उनकी अनुज्ञप्तियों का Online प्रविष्टि करते हुए UIN Generate किया जा सके एवं इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराई जा सके। उक्त तिथि तक अनुज्ञप्तिधारी का UIN सृजन एवं NDAL System में Upload नही होने की स्थिति में Licences समाप्त हो जायेगा एवं संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ह0/
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
कोडरमा।

ज्ञापांक...122.../सा0, दिनांक...16.../.....03.../2017

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को 04(चार) स्थानीय प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए एवं प्रकाशित विज्ञापन का कतरन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हे निदेश दिया जाता है कि Koderma.Nic.in के Website पर Upload करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, कोडरमा को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
कोडरमा।